

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-843 / 2012

संस्थित दिनांक-17.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म.प्र.) ----- अभियोजन

// विरुद्ध //

भूपतसिंह पिता केहरसिंह परते, उम्र-36 वर्ष,

निवासी-वार्ड नं.1 सिंगबाध बैहर, थाना बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.), ----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-14 / 07 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-294, 323(दो काउंट), 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-31.05.2012 को समय शाम करीब 8:00 बजे स्थान ग्राम सिंगबाध थाना बैहर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान फरियादी केहरसिंह के घर के आंगन में लोकस्थान के समीप फरियादी केहरसिंह व धनमतबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहतगण केहरसिंह व धनमतबाई को लकड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादीगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-31.05.2012 को समय शाम करीब 8:00 बजे स्थान ग्राम सिंगबाध थाना बैहर, जिला बालाघाट अन्तर्गत आरोपी ने आहत धनमत बाई को बसंतीबाई के घर क्यों गई थी, की बात पर अश्लील शब्द उच्चारित कर लकड़ी से मारपीट किया तथा फरियादी केहरसिंह द्वारा जब बीच-बचाव किया गया तो आरोपी ने उसे भी लकड़ी से मारपीट किया तथा आहतगण को जान से मारने की धमकी दिया। उक्त घटना में आहत केहरसिंह को सिर के बांये तरफ, हाथ की हथेली एवं हाथ के ऊपर पीठ पर चोट आयी, जिससे खून निकलने लगा तथा आहत धनमतबाई को दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर भाग पर एवं दाहिने पैर के घुटने में चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी केहरसिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना बैहर में की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-83/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध कायम करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल

परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294, 323(दो काउंट), 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने फरियादी केहरसिंह के घर के आंगन में लोकस्थान के समीप फरियादी केहरसिंह व धनमतबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण केहरसिंह व धनमतबाई को लकड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत धनमतबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि आरोपी भूपतसिंह उसका लडका है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व रात के 7-8 बजे उसके घर की बात है। घटना दिनांक को भूपतसिंह गाड़ी लेकर आया और गाड़ी में पलंग आदि सामान रख रहा था, जिस बात को लेकर उन लोगों का मौखिक वाद-विवाद हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी भूपतसिंह ने बसंतीबाई के घर क्यों गई थी, की बात को लेकर उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देकर लकड़ी से मारपीट किया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके पति केहरसिंह के द्वारा बीच-बचाव किये जाने पर आरोपी ने उसे भी गंदी-गंदी गालियाँ देकर मारपीट किया था। साक्षी ने इस बात से भी अस्वीकार किया है कि उन लोगों को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दिया था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-1 का कथन दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी एवं आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

6— अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण को पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में अन्य फरियादी व आहत केहरसिंह फौत होने के कारण उसकी साक्ष्य प्रकरण में नहीं करायी गई है। इस प्रकार प्रकरण में एकमात्र साक्षी धनमतबाई (अ.सा.1) को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। धनमतबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी को

उसका पुत्र होना तथा अन्य आहत केहरसिंह जो उसका पति था उसकी मौत होने के कथन किये हैं। अभियोजन के मामले में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। इस कारण से अभियोजन का मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान अन्तर्गत लोक स्थान फरियादी केहरसिंह के घर के आंगन में लोकस्थान के समीप फरियादी केहरसिंह व धनमतबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहतगण केहरसिंह व धनमतबाई को लकड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादीगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323(दो काउंट), 506 (भाग-2) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

9— आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक-07.02.2014 से लगातार निरुद्ध रहा है। अतएव उक्त न्यायिक अभिरक्षा की अवधि का धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

10— प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

1.

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट